न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

प्रार्थना–पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
/23	251क RTA	कोयला	बारां

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
रविन्द्र सिंह	बनाम	गुलाब
वकील :– श्री अरविन्द सिंह हाडा	आदेश पत्रक	वकील:–

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
12.07.2023	अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 251क आर. टी. एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी के न्याया0 में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 17.08.2023 को पेश हो। Sd/-	
17-8-23	पीठासीन अधिकारी ~~[illegible]~~ [illegible] में रहने से पूर्ववत दिनांक 16-10-23 को प्रस्तुत हो. Sd/- रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां प्रतिवादी क्रम 6 ता 9 व 11,12 की ओर से श्री हरिओम चतुर्वेदी एड. का वकालतनामा पेश हुआ। शा0 प0 लिया गया। प्रतिवादी क्रम 26 की ओर से श्री ललित नागर एड. का वकालतनामा पेश हुआ। शा0 प0 लिया गया।	
16-10-23	पत्रावली पेश हुई वकुलाय फरीकैन उप0। प्रतिवादी क्रम 1,2,3,5 एवं 13 ता 18,19,20,21 की ओर से जवाब पेश हुआ नकल वकील वादी को दिलाई गयी वकील वादी द्वारा प्रा0 पत्र O22 R4 एवं धारा 151 CPC पेश हुआ। लिहाजा पत्रावली वास्ते जवाब प्रा0 पत्र दिनांक 29.11.23 को पेश हो। Sd/-	
24-1-24	पत्रावली पूर्व में नियत की गई तिथि पर आज पेश हुई वकुलाय फरीकैन उप0। जवाब प्रा0 पत्र हेतु समय चाहा है। पत्रावली वास्ते जवाब प्रा0 पत्र दिनांक 8-2-24 को पेश हो। Sd/-	
08/2/24	पत्रावली पेश हुई वकुलाय फरीकैन उप0। प्रत्यर्थी क्रम 6 ता 9 एवं 11,12 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ। नकल प्रार्थी वकील को दिलाई गयी L.R प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं किया गया समय चाहा है। पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 14/2/24 को पेश हो। Sd/-	
14-2-24	पत्रावली पेश हुई वकुलाय फरीकैन उप0 तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवाई जावे। पत्रावली वास्ते रिपोर्ट दिनांक 19.3.24 को पेश हो। Sd/-	

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश
08/01/[illegible]	पत्रावली पेश हुई। प्रस्तुत आवेदन पत्र/प्रार्थना पत्र स्वीकार [illegible] किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर [illegible] किया गया। पारित निर्णय की प्रतिलिपि द्वारा [illegible] संबंधित पक्ष को भिजवाई जावे। पत्रावली [illegible] शुमार होकर [illegible] से [illegible] हो। बाद तामील अभिलेख के [illegible] को भेजा [illegible] जावे।

निर्णय वइजलास श्री अभिमन्यु सिंह कुन्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्याः– 71/23
दायरा दिनांकः– 12.07.2023
निर्णय दिनांकः– 08/01/2025

उनवान

1. रविन्द्र सिंह हाडा
2. गोविन्द सिंह हाडा पुत्रगण स्वर्गीय श्री भंवर सिंह हाडा निवासीगण ग्राम कोयला तहसील बारां जिला बारां (राज0)
3. लक्ष्मण सिंह हाडा पुत्र श्री यशवंत सिंह हाडा निवासी ग्राम कोयला तहसील बारां जिला बारां (राज0)

बनाम

1. गुलाब आयु 80 वर्ष पत्नि स्वर्गीय श्री मोहनलाल
2. नन्दकिशौर आयु 65 वर्ष पुत्र श्री धन्नालाल
3. राजेन्द्र आयु 50 वर्ष पुत्र श्री मोहनलाल
4. रामनारायण आयु 65 वर्ष पुत्र श्री मोहनलाल
5. सुरेन्द्र आयु 55 वर्ष पुत्र श्री मोहनलाल जातिगण गूर्जर
6. इन्द्राबाई आयु 55 वर्ष पत्नि स्वर्गीय श्री हसराज
7. ओमप्रकाश आयु 58 वर्ष पुत्र श्री रामनाथ
8. देवीलाल आयु 65 वर्ष पुत्र श्री रामनाथ
9. भूपेन्द्र आयु 25 वर्ष पुत्र श्री हंसराज
10. रामचन्द्री पत्नि स्वर्गीय श्री रामनाथ (मृतक)
11. लखन आयु 21 वर्ष पुत्र श्री हंसराज
12. संजया आयु 28 वर्ष पुत्री श्री हंसराज जातिगण किराड
13. अक्षयराज आयु 60 वर्ष पुत्र स्वर्गीय श्री मोहनलाल
14. अनन्तकुमार आयु 58 वर्ष पुत्र स्वर्गीय श्री मोहनलाल
15. कृष्णाकुमारी आयु 70 वर्ष पुत्री श्री मोहनलाल
16. रूकमणी बाई आयु 55 वर्ष पुत्री स्वर्गीय श्री मोहनलाल
17. राधाबाई पुत्री श्री मोहनलाल (मृतक)

17./1 श्याम पुत्र गिर्राज
17./2 चेतना पुत्री गिर्राज निवासीगण मंडावरा तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)

18. रामविलासी पत्नि स्वीर्गीय श्री मोहनलाल (मृतक) जातियान ब्राहम्ण
19. भूपेन्द्र आयु 38 वर्ष पुत्र श्री अमरलाल

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

20. सुरेन्द्र आयु 40 वर्ष पुत्र श्री अमरलाल
21. सुरेश आयु 35 वर्ष पुत्र श्री अमरलाल जाति किराड
22. अजय पुत्र श्री चतुर्भुज
23. कृष्णचन्द पुत्र श्री रामनाथ
24. कृष्णाबाई पुत्री श्री कमलाबाई
25. गायत्रीबाई पुत्री श्री चतुर्भुज
26. ब्रिजेश उर्फ विजय पुत्र श्री चतुर्भुज
27. शांतिबाई पुत्री श्री हरनारायण
28. संजय पुत्र श्री चतुर्भुज जातिगण ब्राहमण निवासीगण कोयला उप तहसील कोयला तहसील बारां जिला बारां (राज0)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर टी ए. एक्ट

निर्णय दिनांकः– 08/01/2025

अभिभाषक उपस्थितः– 1. श्री अरविन्द सिंह हाडा एड0– प्रार्थी
2. श्री हरिओम चतुर्वेदी एड0 – अप्रार्थी
3. श्री ओम मेहता ।।।, श्री रमेन्द्र सिंह

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा, 251 (क) आर.टी.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की खसरा नं0 604 की 0.04 हेक्टर प्रार्थीगण रविन्द्र सिंह हाडा व गोविन्द सिंह हाडा के पिता स्वर्गीय श्री भवरसिंह हाडा व लक्ष्मण सिंह हाडा पुत्र श्री यशवंत सिंह हाडा व खसरा नं0 605 की 1.13 हेक्टर प्रार्थीगण रविन्द्र सिंह हाडा गोविन्द सिंह पुत्रगण स्वर्गीय श्री भवरसिंह हाडा, पुष्पाकंवर पत्नि स्वर्गीय श्री भवर सिंह हाडा, मधुश्री राजश्री पुत्रीया स्वर्गीय श्री भवर सिंह हाडा तथा खसरा न. 3651/605 की रकबा 1.13 हैक्टर लक्ष्मणसिंह हाडा वाके ग्राम कोयला उप तह० कोयला तहसील बारा में स्थित है। प्रार्थीगण की आराजियात पहुंच के प्रयोजनार्थ गुलाब पत्नि स्वर्गीय श्री मोहनलाल, नन्दकिशोर पुत्र श्री धन्नालाल, राजेन्द्र पुत्र श्री मोहनलाल, रामनारायण पुत्र श्री मोहनलाल, सुरेन्द्र पुत्र श्री मोहनलाल जाति गूर्जर व इन्द्राबाई पत्नि स्वर्गीय श्री हंसराज ओमप्रकाश पुत्र श्री रामनाथ, देवीलाल पुत्र श्री रामनाथ भूपेन्द्र पुत्र श्री हसराज, रामचन्द्री पत्नि स्वर्गीय श्री रामनाथ लखन पुत्र श्री हरायन्न, संजया पुत्री श्री हंसराज जाति किराड अक्षयराज पुत्र श्री माहनलाल अनन्तकुमार पुत्र श्री मोहनलाल कृष्णाकुमारी पुत्री श्री मोहनलाल, संकमणी बाई पुत्री श्री मोहनलाल, राधाबाई पुत्री श्री माहनलाल, रामविलासी पत्नि श्री मोहनलाल जाति ब्राहमण व भूपेन्द्र पुत्र श्री अमरलाल सुरेन्द्र पुत्र श्री अमरलाल सुरेश पुत्र श्री अमरलाल जाति किराड, अजय पुत्र श्री चतुर्भुज, कृष्णचन्द पुत्र श्री रामनाथ, कृष्णाबाई पुत्री श्री कमलाबाई गायत्रीबाई पुत्री श्री चतुर्भुज ब्रिजेश उर्फ विजय पुत्र श्री चतुर्भुज, शांतिबाई पुत्री श्री हरनारायण संजय पुत्र श्री चतुर्भुज जाति ब्राहमण निवासीगण कोयला उप तहसील कोयला तहसील बांस के खातेदारी की आराजियात में विद्यमान रास्ता को कायम करवाना चाहते है

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

विपक्षीगण कम 1 ता 5 खसरा नं0 602 की रकबा 0.95 हेक्टर व खसरा नं. 603 रकबा 2.52 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 3.47 हैक्टर वाके ग्राम कोयला उप० तह० कोयला जिला बांरा, राज० विपक्षी गण कम 6 ता 12 खसरा नं0 21 की 2.16 हेक्टर खसरा नं0 601 की 1.05 हैक्टर खसरा नं. 771 की 0.18 हेक्टर, खसरा नं. 775 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नं. 79 की 2.46 हेक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 5. 90 हैक्टर वाके ग्राम कोयला उप० तह० कोयला जिला बांरा, राज० विपक्षीगण क्रम 13 ता 18 खसरा नं0 1125 3502 की 0.05 हेक्टर, खसरा नं0 609 की 157 हैक्टर खसरा नं 684 की 0.23 हेक्टर, खसरा नं. 685 रकबा 0.24 हैक्टर कुल किता कुल रकबा 2.09 हेक्टर वाके ग्राम कोयला उप० तह० कोयला जिला बारां राज0 विपक्षीगण क्रम 19 ता 21 खसरा न0 608 की 1.72 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 1.72 हेक्टर वाके गाम कोयला उप० तह० कोयला जिला बारा, राज० विपक्षी गण कम 19 ता 21 खसरा न0 608 की 1.72 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 1.72 हेक्टर वाके गाम कोयला उप० तह० कोयला जिला बारा, राज० विपक्षी गण क्रम 22 वा 28 खसरा नं0 607 की 166 टेक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 1.66 हेक्टर वाके ग्राम कोयला उप तह० कोयला जिला बारा राज० मध्य होकर 12 फीट चौडा रास्ता प्रार्थीगण को चाहिये । क्योकि प्रार्थीगण ने अपनी उक्त वर्णित आराजियात में सब्जिया बो रखी है। जिसको प्रार्थीगण आम आदमी के स्वास्थ्य के लिये बेचने के लिये सब्जीमण्डी बारां में ट्रेक्टर ट्रोली गाडी कभी ट्रक से भी लेकर आते है और प्रार्थीगण का उक्त वर्णित आराजियात मे रास्ता अर्सा करीबन 100 वर्ष से बना हुआ है जिस पर होकर निकलते चले आ रहे है। इस सम्बन्ध मे पूर्व मे दिनांक 27.07. 2016 ग्राम पंचायत कोयला व हल्का पटवारी कोयला द्वारा उक्त वर्णित आराजियात पर जाने के लिये प्रतिपेक्षीगण की आराजियात मे होकर 12 फीट (4) मीटर) रास्ता कायम किया गया था जिस पर होकर प्रार्थीगण ट्रेक्टर ट्रोली कृषि यंत्र आदि निकालते चले आ रहे हैं व उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। यह कि प्रार्थीगण रविन्द्रसिंह हाडा व गोविन्द हाडा के पक्ष में प्रार्थीगण की बहिनो मधुश्री व राजश्री व माता पुष्पकवर ने दिनांक 16.11.2021 को हक त्याग कर रखा है किन्तु अभी नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया गया है। इस कारण वर्तमान जमाबन्दी में उनका नाम दर्ज है। प्रतिवादी कम 10 रामचन्द्री का स्वर्गवास हो चुका है। किन्तु उनका फोती इन्तकाल दर्ज नहीं हुआ है और मृतक रामचन्द्री के वारिसान एवं कायम मुकामान ही पूर्व से ही प्रतिपक्षी कम 6 ता 9 व 11 ता 12 रूप में रिकोर्ड पर है। इसी प्रकार प्रतिपक्षी कम 17 राधाबाई का भी स्वर्गवास हो चुका है किन्तु राजस्व रिकार्ड में उसके वारिसान के नाम फोती इन्तकाल दर्ज नही किया गया है जिनके वारिसान प्रतिपक्षी कम 17/1. 17/2 को आवेदन पत्र में पक्षकार बनाया गया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम कोयला सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 604 नकल जमाबन्दी ग्राम कोयला सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 603 नकल जमाबन्दी ग्राम कोयला सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 1200 सरपंच ग्राम पंचायत कोयला की रिपोर्ट दिनांक 26.07.2016 नकल जमाबन्दी ग्राम कोयला सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 408 नकल जमाबन्दी ग्राम कोयला सम्वत् 2073–76 खाता

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

संख्या 353 नकल जमाबन्दी ग्राम कोयला सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 2 नकल जमाबन्दी ग्राम कोयला सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 1010 नकल जमाबन्दी ग्राम कोयला सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 126 हक त्याग पत्र दिनांक 16.11.2021 पेश किया गया अप्रार्थीगण द्वारा नकल जमाबन्दी ग्राम कोयला सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 353 नकल जमाबन्दी ग्राम कोयला सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 603 नकल नक्शा ट्रेस ग्राम कोयला खसरा नम्बर 605 नकल नक्शा ट्रेस ग्राम कोयला खसरा नम्बर 601 नकल आदेश नायब तहसीलदार कोयला नकल निर्णय दिनांक 12.08.2024 न्यायालय जिला कलक्टर बारां उनवान ओमप्रकाश बनाम रविन्द्र सिंह हाडा पेश किया गया।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सूनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कोयला में स्थित है। प्रार्थी अपने खातेदारी की भूमि पर जाने के लिए अप्रार्थीगण की भूमि मं विद्यमान रास्ता कायम करवाना चाहतें है अप्रार्थी क्रम 1 ता 5, 6 ता 12, 13 ता 18, 22 ता 28 की भूमि में होकर 12 फीट चौडा रास्ता प्रार्थीगण को चाहियें प्रार्थीगण ने अपने खेत में सब्जीयां बो रखी है जिसे बेचने के लिए ट्रेक्टर ट्रोली गाडी ट्रक से ले जाना पडता है प्रार्थीगण का उक्त रास्ता करीबन 100 वर्षो से बना हुआ है जिस पर होकर आते जाते हे इस सम्बन्ध में पूर्व में दिनांक 27.07.2016 को ग्राम पंचायत कोयला व हल्का पटवारी कोयला द्वारा उक्त वर्णित आराजी पर जाने के लिए अप्रार्थीगण की आराजी में होकर 12 फीट रास्ता कायम किया गयाथा जिस पर होकर प्रार्थीगण आते जाते थे अप्रार्थीगण उक्त रास्ते में होकर नही जाने देते है रास्ता बन्द कर दिया है जिससे प्रार्थीगण को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है प्रार्थी की भूमि बंजड रह जायेगी जिससे प्रार्थी को काफी नुकसान होगा। अप्रार्थीगण की भूमि से 12 फीट चौडा रास्ता कायम किया जावें जिसकी ऐवज में प्रार्थीगण डी0एल0सी व राज्य सरकार के नियमानुसार रूपयें देने को तैयार है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक अप्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अप्रार्थी क्रम 6 ता 9 एवं 11,12 का कथन है कि खसरा नम्बर 601 रकबा 1.05 है0 भूमि पर प्राथीगण के संयुक्त खातेदारी की आराजी पर आवागमन का कभी भी कोई रास्ता नही रहा प्रार्थीगण के खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 601,607,608,609 के मध्य की मेड पर होकर प्रार्थीगण की आराजी में आने जाने का कभी कोई रास्ता नही रहा प्रार्थीगण के खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 604,605 एवं 3651/5 के उत्तरी ओर स्थित गांव की गाडार से प्रार्थीगण अपने खेत की आराजीयात पर कई वर्षो से आते जातें हे प्रार्थीगण की आराजी में आवागमन का रास्ता मौजूद होने के कारण प्रार्थीगण धारा 251क आर0टी0एक्ट0 के प्रावधान अनुसार अप्रार्थीगण के खाते की आराजी से नया रास्ता कायम कराना चाहतें है प्रार्थी अप्रार्थीगण के खातेदारी की आराजी में किसी प्रकार का नया रास्ता कायम करवाने के अधिकारी नही है। प्रार्थीगण के खातेदारी का उत्तरी ओर स्थित गाडार के रास्ते को प्रार्थना पत्र मं जानबूझ कर छिपाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है प्रार्थीगण के खाते की आराजी

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

पर जाने का कदीमी रास्ता उत्तरी ओर स्थित गांव कोयला की गडार के रास्ते से होकर है अप्रार्थीगण के खाते की भूमि से रास्ता स्वीकृत करवाने के अधिकारी नही है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। अप्रार्थी क्रम 1,2,3,5 एवं 13 ता 18,19,20,21 द्वारा जवाब पेश कर प्रार्थीगण को रास्ता देने में किसी प्रकार की कोई आपात्ति नही होना बताया है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी ग्राम कोयला सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 604 भंवर सिंह पुत्र फतहसिंह लक्ष्मण सिंह पुत्र यशवन्त सिंह के खातेदारी में है नकल जमाबन्दी ग्राम कोयला सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 603 प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम कोयला सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 1200 प्रार्थी लक्ष्मण सिंह पुत्र यशवन्त सिंह के खातेदारी में दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम कोयला सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 408 अप्रार्थी क्रम 1 ता 5 का नाम दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी ग्राम कोयला सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 353 में अप्रार्थी क्रम 6 ता 12 का नाम दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम कोयला सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 2 में अप्रार्थी क्रम 13 ता 18 का नाम दर्ज रिकार्ड है नकल जमाबन्दी ग्राम कोयला सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 1010 में अप्रार्थी क्रम 19 ता 21 का नाम दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी ग्राम कोयला सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 126 में अप्रार्थी क्रम 22 ता 28 का नाम दर्ज रिकार्ड है अप्रार्थी क्रम 13 ता 18,12,3,5 एवं 19,20,21 की ओर से इकबाली जवाब पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है। उक्त रास्ते के सम्बन्ध में तहसीलदार बारां से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार बारां ने बताया कि प्रार्थीगण रविन्द्र सिंह हाडा पुत्र स्व0 श्री भंवरसिंह हाडा जाति राजपूत निवासी कोयला ग्राम कोयला की आराजी खसरा नम्बर 604 रकबा 0.04 है0 खसरा नम्बर 605 रकबा 1.13 है0 खसरा नम्बर 3651/605 रकबा 1.13 है0 भूमि पर आने जाने हेतु पहुच मार्ग का राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क के तहत वस्तुस्थिति की जॉच रिपोर्ट वास्ते हमराह पटवारी हल्का मय रिकार्ड प्रार्थीगणों की उपस्थिति में मौके पर पहुंच मुताबिक राजस्व रिकार्ड ग्राम कोयला की खाता संख्या 604 पर दर्ज आराजी खसरा नम्बर 604/0.04 एवं खाता संख्या 603 पर दर्ज खसरा नम्बर 605/1.13 है0 एवं खाता संख्या 1200 पर दर्ज खसरा नम्बर 365/605 रकबा 1.13 है0 पर आने जाने हेतु वादीगणों द्वारा राजस्व ग्राम कोयला की आराजी खसरा नम्बर 601 रकबा 1.05 है0 खसरा नम्बर 602 रकबा 0.95 है0 खसरा नम्बर 607 रकबा 1.66 है0 खसरा नम्बर 608 रकबा 1.72 है0 खसरा नम्बर 609 रकबा 1.57 है0 की मध्य मेंड से मुख्य सडक बडा से कोयला जाने वाली लगभग 4 मीटर चौडा रास्ता चाहा गया प्रार्थीगणों द्वारा बताया गया कि उक्त खसरों की मध्य मेंड में होकर ही विगत कई वर्षो से अपनी आराजी पर पहुचनें हेतु रास्ते का उपयोग करतें आ रहे है मुताबिक रिकार्ड व वस्तुस्थिति अनुसार प्रार्थीगणों की खातेदारी ग्राम कोयला की आराजी खसरा नम्बर 957/2 रकबा 0.30 है0 खसरा नम्बर 621 रकबा 1.98 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता पर उत्तरी दिशा में स्थित है मौका वस्तुस्थिति उक्त रास्ता उबड खाबड खालनुमा व मौके पर (खेल) जाने आने हेतु उपयुक्त नही

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

है उक्त रास्ता केवल गर्मी के मौसम में ही आने जाने हेतु उपलब्ध रहता है अन्य मौसम में उक्त रास्ते मे खालनुमा होने से पानी भरा रहता है प्रार्थीयों को अपने खेत पर जाने आने हेतु फसल के तीनों सीजन (रबी,खरीफ,जायदा) में रास्ते की आवश्यकता है क्योकि प्रार्थीगण वर्ष पर्यन्त फसल सब्जियों का उत्पादन करतें है जिनके परिवहन हेतु बारह महीने साधन लाले ले जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थीगणों के खेत पर आने जाने हेतु कोयला से बडा मुख्य डामर सडक से लगी हुई है अप्रार्थीगणों की आराजी खसरा नम्बर 601.,602,607,608,609, की मध्य की मेड से दोनो ओर 2–2 मीटर की चौडाई में रास्ता चाहा गया है जो प्राथीगणों के लिए सबसे उपयुक्त होगा। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड एवं तहसीलदार बारां की रिपोर्ट के आधार पर खसरा नम्बर 601,602,607,608,609 की मध्य की मेड से प्रार्थीगण को 12 फीट चौडा रास्ता दिया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251क आर0टी0एक्ट स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम कोयला तहसील बारां के खसरा नम्बर 601,602,607,608,609 की भूमि की मध्य मेड से 12 फिट चौडा रास्ता कायम किया जाता है उक्त रास्ते के बदले प्रार्थीगण को वर्तमान डी0एल0सी की दर की दो गुना राशि तहसील कार्यालय में जमा कराई जावें। तहसीलदार बारां को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा जमा करवाई गई राशि का भुगतान खसरा नम्बर 601,602,607,608,609 के खातेदारान को किया जाकर राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज किया जावें।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिमन्यु सिंह कुन्तल)
उपखण्ड अधिकारी
बारां
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बारां

बाई पुत्री श्री मोहनलाल, राधाबाइ पुत्र। श्री